

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

कमांक..... /
/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 06/12/2024

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालयों से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार सिविल प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किया जाता है:-

क.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज	सिविल प्रकरण कमांक-30 से 69, क. 172 से 215, क. 335 से 404, क. 519 से 558	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज
2.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज	सिविल प्रकरण कमांक-213 से 240, क. 384 से 428 एवं क. 524 से 548	
3.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज	सिविल प्रकरण कमांक-11 से 18, क. 66 से 100, क. 121 से 130, क. 216 से 230, क. 281 से 310	
4.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल प्रकरण कमांक-01 से 19	
5.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल प्रकरण कमांक-01 से 19	

Sd/-
(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)


कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

पृष्ठांकन क्र०...6301 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 06 / 12 / 2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज
2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मऊगंज
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ मऊगंज।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)